भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 239
सोमवार, 10 अगस्त, 2026 (19 श्रावण 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

मौजूदा केंद्रों पर भीड़भाड़ कम करने हेतु ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों में कार्गो क्षेत्र का विकास

***239. श्री केसरीदेवसिंह झालाः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हीरासर सहित नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों पर समर्पित कार्गो टर्मिनलों के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत आवंटित कुल पूंजी निवेश कितना है;

(ख) भीड़भाड़ वाले पारंपरिक कार्गो केंद्रों से कितने प्रतिशत माल ढुलाई यातायात के स्थानांतरित होने का अनुमान है;

(ग) स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आसपास के लॉजिस्टिक्स पार्कों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों का किस प्रकार एकीकरण किया जा रहा है;

(घ) क्या कागजरहित सीमा शुल्क मंजूरी के लिए डिजिटल एकल-खिड़की प्रणाली लागू की जा रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्षेत्रीय कार्गो अवसंरचना में गैर-सरकारी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु कौन-कौन से नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ङ) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"मौजूदा केंद्रों पर भीड़भाड़ कम करने हेतु ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों में कार्गो क्षेत्र का विकास" के संबंध में श्री केसरीदेवसिंह झाला द्वारा पूछे गए दिनांक 10.08.2026 के राज्य सभा मौखिक प्रश्न संख्या 239 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) देश में अवसंरचना नियोजन और विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। पीएम गति शक्ति के तहत हीरासर सहित कार्गो टर्मिनलों के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(ख) और (ग): कार्गो सुविधाओं का विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह हवाईअड्डे के विकास की प्रगति, अनुसूचित परिचालनों में वृद्धि, हैडलिंग क्षमता, घरेलू कार्गो की मात्रा में वृद्धि और एयरलाइनों की मांग जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। देशभर में मौजूदा कार्गो टर्मिनलों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के साथ नए सुविधा केंद्रों के विकास के माध्यम से हवाई कार्गो भण्डारण क्षमता में भी वृद्धि की गई है। एयर कार्गो अवसंरचना के विकास के परिणामस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ भीड़-भाड़ वाले हब से माल ढुलाई का ट्रैफिक अन्य स्थानों पर भेजा जा सकेगा और स्थानीय स्तर पर रोज़गार बढ़ेंगे।

(घ): केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क क्लीयरेंस को कागज-रहित और कुशल बनाने के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू किए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और सीमा शुल्क संव्यवहारों के लिए आइसगेट (आईसीईजीएटीई), कार्गो क्लीयरेंस दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रस्तुति के लिए ई-संचित, कूरियर और एक्सप्रेस कार्गो के त्वरित क्लीयरेंस के लिए एक्सप्रेस कार्गो क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीसीएस) और विभिन्न सरकारी विभागों से विनियामक अनुमोदनों के लिए एकल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में स्विफ्ट 2.0 शामिल हैं।

(ङ) देश में हवाईअड्डा अवसंरचना के विकास में क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे, मौजूदा हवाईअड्डों का उन्नयन और आधुनिकीकरण, 'उड़ान' योजना के तहत असेवित/अल्पसेवित हवाईअड्डों का विकास/पुनरुद्धार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से मौजूदा और नए हवाईअड्डों में निजी निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।
